नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित मंडी समिति के निर्वाचन के लिए कॉलम (3) में पदाभिहित अधिकारियों में से किसी एक को रिटर्निंग आफ़िसर तथा कॉलम (4) में पदाभिहित अधिकारियों में से आवश्यकतानुसार सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करने के लिये, जिला निर्वाचन अधिकारी को प्राधिकृत करता है तथा यह निर्देश देता है कि रिटर्निंग आफिसर तथा सहायक रिटर्निंग आफिसर का अधिकार क्षेत्र, सारणी के कॉलम (5) में उल्लेखित क्षेत्र होगा :—

क्र.	मंडी समिति	अधिकारी का पदनाम जिसे रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित किया गया है	अधिकारी का पदनाम जिसे सहायक रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित किया गया है.	अधिकार क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जिले में स्थित समस्त मंडी समितियां.	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/सहायक कलेक्टर.	तहसीलदार/अपर तहसीलदार/नायब तहसीलदार.	जिले में स्थित समस्त मंडी समितियां.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. दवे, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 7-7/2004/12.—खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम की अनुसूची—एक के अनुक्रमांक-4 के बाद निम्नानुसार खण्ड प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :—

"4 (क) भवन एवं सड़क निर्माण के रूप में लाये जाने वाले निम्न श्रेणी चूनापत्थर".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 7-7/2004/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7-7/2004/12, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Scanned by CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

::अधिसूचना::

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर, 2010

क्रमांक एफ 7–7/2004/12.– खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं.67) की धारा 15 की उपधारा (1) व्दारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद् व्दारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 1996 में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थातः–

संशोधन

उक्त नियम की अनुसूची– एक के अनुक्रमांक–4 के बाद निम्नानुसार खण्ड प्रतिस्थापित किया जावे अर्थातः–

''4 (क) भवन एवं सड़क निर्माण के रूप में लाये जाने वाले निम्न श्रेणी चूनापत्थर''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
20/9/2010
(व्ही.के. मिश्रा)
उप सचिव

रायपुर, दिनांक 20 सितम्बर, 2010

क्रमांक 7–7/2004/12.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 7–7/2004/12, दिनांक 20 सितम्बर, 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
20/9/2010
(व्ही.के. मिश्रा)
उप सचिव

Scanned by CamScanner